न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/2021/11

1. प्रकाश कंवर पत्नी बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी 28 पश्चिम विहार मीणावाला जयपुर।

–वादीया

बनाम

1. नन्दराम पुत्र भैरूराम जाति ब्राह्मण निवासी 68/54 हीरापथ मानसरोवर जयपुर।
2. महेश चन्द्र शर्मा पुत्र रामप्रताप शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 68/54 हीरापथ मानसरोवर जयपुर।
3. रामनारायण पुत्र बिशनाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मानपुरिया तहसील फागी जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

निर्णय **दिनांक : 14.06.2022**

वादीया की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि राजस्व ग्राम मुण्ड्या पटवार क्षेत्र रामपुराउंती, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान स्थित आराजी खाता संख्या नया 121 व पुराना 120 के खसरा नंबर 187 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 188 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा नंबर 189 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 190 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नंबर 191 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.65 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 52 पुराना 72 के खसरा नंबर 131 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नंबर 132 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 133 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नंबर 134 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नंबर 135 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा नंबर 136 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 137 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता [illegible] कुल [illegible] 3.96 हैक्टेयर स्थित हैं, जो इस वाद में विवादग्रस्त आराजी है। [illegible] वाद पत्र में विवादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जावेगा। आराजी खाता संख्या नया [illegible] व पुराना 120 कुल किता 5 कुल रकबा 1.65 हैक्टेयर भूमि में वादीया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 15:06:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का हिस्सा 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 2/3 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 1/8 हिस्से, एवं खाता संख्या नया 52 पुराना 72 के कुल खसरा 7 कुल रकबा 3.96 हैक्टेयर भूमि में वादीया का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का हिस्सा 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 5/12 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 1/8 हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित हैं, जो अपने-अपने भाग पर काबिज काश्त करते हुए लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण एवं इसके साथ आये भू-माफिया लोगो ने दिनांक 06.01.2021 को विवादित आराजी के बिना विधिक तकासमा विभाजन के ही नाप जोख कर पत्थर की ट्रोली निर्माण बाबत् लेकर आया। जिस पर वादीया ने निर्माण कार्य से पहले तहसील चलकर सहमति से तकासमा करने की बात कही, जिस पर प्रतिवादीगण भडक गये और एलानिया धमकी दी कि हम विवादित आराजी के सबसे अच्छे भाग पर पुख्ता निर्माण कर लेगें और काबिज हो जायेगें। जबकि वादिया एवं प्रतिवादीगण आपस में मनबट के आधार पर वर्गीकरण करके काश्त कर रहे हैं। जिस पर दिनांक 06.01.2021 को तो प्रतिवादीगण व इसके साथ आये भू-माफिया चले गये लेकिन बार-बार विशिष्टि भू-भाग पर निर्माण करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। जिससे वादकारण उत्पन्न हुआ तथा वाद पत्र प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वाद बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् तकासमा का डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ग्राम झुण्ड पटवार क्षेत्र रामपुराउंती भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान स्थित आराजी खाता संख्या नया 121 व पुराना 120 के खसरा नंबर 187 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 188 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा नंबर 189 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 190 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नंबर 191 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.65 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 52 पुराना 72 के खसरा नंबर 131 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नंबर 132 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 133 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नंबर 134 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नंबर 135 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा नंबर 136 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 137 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा [illegible] हैक्टेयर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स (सरस नक्शा) के अनुसार विधिक [illegible] किया जाकर खाता व नक्शा व लगान पृथक पृथक [illegible] एवं [illegible] वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का [illegible] किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजी से वादीया को बेदखल नही करें,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 15:06:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

कोई खाम या पुख्ता निर्माण नही करें, उक्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वंय करे, ना ही अपने एजेण्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन से करवायें, बैचान हस्तान्तरण नही करें मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ हाल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की सत्य प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आयें। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 की तामील जरिये रजिस्टर्ड एडी करवाई गई थी लेकिन बावजूद सूचना प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 ने वाद में जवाब प्रस्तुत न करे सीधे बहस वादपत्र हेतु निवेदन किया। बहस वादपत्र पर वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स वाद में प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा दस्तावेजात सूची के साथ प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2074–2077 वाकै ग्राम झुण्ड तहसील सांगानेर जिला जयपुर खाता संख्या नया 52 पुराना 72 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात में वादीया व प्रतिवादीगण सह–खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है जिनके मध्य आदिनांक तक विधिक तकासमा नही हुआ है ऐसे में वाद में तकासमा किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजी खाता संख्या नया 121 व पुराना 120 के खसरा नंबर 187 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 188 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा नंबर 189 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 190 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नंबर 191 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.65 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 52 पुराना 72 के खसरा नंबर 131 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नंबर 132 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 133 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नंबर 134 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नंबर 135 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा नंबर 136 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 137 रकबा [illegible] हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 3.96 हैक्टेयर वाके ग्राम झुण्ड पटवार [illegible] रामपुराउती भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड विधि सम्मत बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स उभयपक्ष की उपस्थिति में

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 15:06:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

तकासमा कर अलग–अलग लगान व खाता कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में भिजवायें।

न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एलआर/2022/3843 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई जो निम्नानुसार है:–

प्रस्तावित कुर्रेजात रिपोर्ट :

क्र.सं.	खातेदार का नाम मय वल्दीयत	ख0न0	रकबा	किस्म	लगान
1	प्रकाश कंवर पत्नी बजरंग सिंह जाति राजपूत 28, पश्चिम विहार, मीणावाला वार्ड नं. 3 जयपुर राहिन आईडीबीआई बैंक लि0 जे0के0 लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी	188 मि0 133 मि0 134 मि0	0.41 0.24 0.04	बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3	
	योग	**किता 3**	**0.69**	**बारानी 3**	**2.42**
2	रामनारायण पुत्र बिशनाराम जाति गूर्जर सा0 मानुपरा तहसील फागी राहिन आईसीआईसीआई बैंक लि0 बगरू	188 मि0 133 मि0 134 मि0	0.42 0.23 0.04	बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3	
	योग	**किता 3**	**0.69**	**बारानी 3**	**2.42**
3	नन्दराम पुत्र भैंरूराम जाति बागडा ब्राह्मण सा0देह राहिन बैंक ऑफ बडौदा बगरू	131 मि0 135 मि0 137 136	0.67 0.61 0.05 0.13	बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3	
	योग	**किता 4**	**1.46**	**बारानी 3**	**5.11**
4	महेश चन्द शर्मा पुत्र रामप्रताप शर्मा जाति ब्राह्मण 68/54 हीरापथ मानसरोवर जयपुर	135 मि0 131 मि0 132 189 190 191 134 मि0	0.22 0.23 1.02 0.29 0.47 0.01 0.48	बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 चाही 3 चाही 3 गै0मु0 चाह बारानी 3	
	योग	**किता 7**	**2.72**		**20.91**
5	प्रकाश कंवर पत्नी बरजंग सिंह हि0 1/5 जाति राजपूत सा0 व राहिन बदस्तूर रामनारायण पुत्र बिशनाराम जाति गूर्जर सा0मानपुरा तहसील फागी राहिन बदस्तूर हि0 1/5 महेश चन्द शर्मा पुत्र रामप्रताप शर्मा हि0 3/5 जाति ब्रह्मण सा0बदस्तूर	187	0.05	बारानी 3	
	योग	**किता 1**	**0.05**	**बारानी 3**	**0.18**

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 15:06:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस आपत्ति वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार कर वाद में अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। बहस वकील उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद करें। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की अन्तिम डिक्री जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 15:06:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** ब इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)**

प्रकाश कंवर **बनाम** नन्दराम वगै.

दावा अर्न्तगत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत्

विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा/2021/11

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी सं. 2 मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करें। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ....X.... मुबलिग ....X.... बाबत् ....X.... .... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ....X.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.06.2022 को जारी की गई।

मुहर

(मुहर: सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय)

दस्तखत .... सहायक कलक्टर

ओहदा .... जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		00

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 15:06:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner